



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र 64

यह अनुमति केवल उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के गलतकारों पर किसी का कोई अरार पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्रीमती मोनिक्वा गुप्ता

पिता / पति का नाम श्री डा० कुलदीप गुप्ता
 (गार्. नं. सी. 5234, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, पार्ट 30, नं. 82, मुहल्ला, खैली रोड, जगह, अरबा, वरुणा, इलाहाबाद) का नम्बर
 में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सचिव के विहित मकान चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।

47/प्र.अ. (मक) जोन - 19-10

1/4/2011

सचिव
 इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
 इलाहाबाद

नोट :-

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरार नहीं किया जाता है तो उसे गिराया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत संपह शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्राजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़िया, सीढ़ी, झरप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।

3. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंफिडवम इलेक्ट्रिसिटी ररस 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।



5. प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

6. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।


Reach one copy to the office for monitoring

| FOUNDATION SCHEDULE | |
|---------------------|----------|
| 1 | CONCRETE |
| 2 | 1:2:4 |
| 3 | 1:2:4 |
| 4 | 1:2:4 |
| 5 | 1:2:4 |
| 6 | 1:2:4 |


NOTE -
 REMAINING DIMENSIONS ARE AS SHOWN ON DRAWING. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.



SECOND FLOOR PLAN




GROUND FLOOR PLAN




FIRST FLOOR PLAN



FRONT ELEVATION



SECTION AT A-B



SECTION OF STAIR CASE

PROPOSED BUILDING PLAN FOR HOUSING SCHEME
 BELL ROAD, ALLAHABAD
 OWNER: M/S. AMERICA GROUP
 SCALE: 1:100
 DRAWN BY: K. S. SINGH
 CHECKED BY: K. S. SINGH
 DATE: 10/10/2011



SITE PLAN

SHEET NO. 1 OF 1